न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

मि0नं0 20 / 2025 | तारीख दायरा 10.02.2025 | तारीख फैसला 24/12/25

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– पार्वती बाई उर्फ सरस्वती पुत्री गणेशराम पत्नी मोहनलाल जाति माली निवासी डाबर हाल निवासी शाहपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां। (वादीगण)

बनाम

1– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

वदीया ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि ग्राम डाबर तहसील दीगोद जिला कोटा मे वादनी के शामलाती खातें मे खाता संख्या 133 खसरा न0 263 रकबा 0. 60 है० खसरा न0 264 रकबा 1.03 है० खसरा न० 279 रकबा 0.60 है० कुल 3 किता रकबा 2.23 है० भूमी स्थित चली आ रही है। जिसमे वादनी का 1/4 हिस्सा निहित है जिसमे वादनी का नाम सरस्वती बाई दर्ज है जो गलत है। जमाबन्दी सम्मत 2076 2079 संलग्न है।

2– यह कि वादनी का नाम नामा० दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम सरस्वती बाई के नाम से नामा० दर्ज कर दिया गया है जब कि वादनी का वास्तविक नाम पार्वती बाई है तथा समस्त दस्तावेजों में भी वादनी का नाम पार्वती बाई है जिसमे वादनी को सरकारी योजनाओं में किसान केंडिड कार्ड आदि लेने में परेशानी आ रही है जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

3– यह कि उक्त वादनी का नाम आधार कार्ड पहचान पत्र राशन कार्ड, पेन कार्ड बैंक डायरी आदि में वादनी का नाम पार्वती बाई है वादनी का नाम ग्राम डाबर की जमाबन्दी मे सरस्वती बाई होने से वादनी को सरकारी योजनाओं का लाभ व भूमी सुधार के लिये किसान केडिड कार्ड लेने से वचित हो रही है वादनी को दस्तावेजो के आधार पर अपना नाम दुरुस्त कराने का कानून अधिकार है इस लिये वादनी का नाम दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियो द्वारा उपरोक्त भूमी के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम पार्वती बाई के स्थान पर सरस्वती बाई दर्ज कर दिया है जो गलत है उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम सरस्वती बाई के स्थान पर पार्वती बाई दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जाना आवश्यक है इस सम्बन्ध मे वादनी ने प्रतिवादी से दिनाक 10/01/2025 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया और मना कर दिया जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

5– यह कि वाद कारण दिनाक 10/01/2025 को उत्पन्न हुआ जब कि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमी के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम दुरुस्त नहीं करने की कहने पर पैदा हुआ ।

6– यह कि प्रतिवादी भूमी का लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

7– यह कि उपरोक्त मामला अर्जेन्ट नेचर एवं इमीजिएट रिलीफ से सम्बन्धित होने के कारण प्रतिवादी को धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया सहिता के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस नही दिया गया है। वाद पत्र के साथ नोटिस पेश किया गया।

8– यह कि माननीय न्यायालय को प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त होने के कारण वादग्रस्त भूमी माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है और वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है।

अतः – वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम डाबर तहसील दीगोद जिला कोटा मे वादनी के शामलाती खातें मे खाता संख्या 133 खसरा न0 263 रकबा 0.60 है० खसरा न0 264 रकबा 1.03 है० खसरा न० 279 रकबा 0.60 है० कुल 3 किता रकबा 2.23 है0 जिसमे वादनी का नाम सरस्वती बाई के स्थान पर पार्वती बाई दर्ज किये जाने और राजस्व रेकार्ड मे दुरुस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरुद्ध आज्ञा व डिकी पारित की जावे।

1– कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे की वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावे ।

2– कि वाद व्यय वादनी को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

3– कि अन्य सहायता व भी वादनी को प्रदान की जावे।

वादीगण की ओर से निम्न लिखित दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये है:–

1– नकल जमाबन्दी सवंत् 2076–2079 ग्राम डाबर खाता सं0नया 133
2– नकल जमाबन्दी सवंत् 2074–2067 ग्राम डाबर खाता सं0नया 38
3– नकल छाया प्रति मतदाता पहचान पत्र
4– नकल छाया प्रति आधार कार्ड
5– नकल छाया प्रति जनाधार कार्ड
6– नकल छायाप्रति राशन कार्ड

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण को साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्य PW1 में वादीनी पार्वती बाई पुत्री गणेश राम जाति माली पत्नी मोहनलाल निवासी डाबर हाल शाहपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां, PW 2, महावीर आत्मज गेंदीलाल जाति माली निवासी ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां, PW 3 दयाराम आत्मज डोडाराम जाति धाकड निवासी बम्बोरी तहसील दीगोद जिला कोटा के प्रस्तुत किये जो शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। बहस वादी के अधिवक्ता की सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया।

प्रकरण मे बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध जवाब सरकार, दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कार्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः वादनी का नाम सरस्वती बाई के स्थान पर सरस्वती बाई उर्फ पार्वती बाई किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम डाबर तहसील दीगोद जिला कोटा मे वादनी के शामलाती खातें मे खाता संख्या 133 खसरा न0 263 रकबा 0.60 है० खसरा न0 264 रकबा 1.03 है० खसरा न० 279 रकबा 0.60 है० कुल 3 किता रकबा 2.23 है0 भूमि में वादनी का नाम सरस्वती बाई के स्थान पर सरस्वती बाई उर्फ पार्वती बाइ दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– पार्वती बाई उर्फ सरस्वती पुत्री गणेशराम पत्नी मोहनलाल जाति माली निवासी डाबर हाल निवासी शाहपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां।

(वादीगण)

बनाम

1– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरूस्ती

मिसल नं 20 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादीगण व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में ग्राम डाबर तहसील दीगोद जिला कोटा मे वादनी के शामलाती खातें मे खाता संख्या 133 खसरा न0 263 रकबा 0.60 है० खसरा न0 264 रकबा 1.03 है० खसरा न० 279 रकबा 0.60 है० कुल 3 किता रकबा 2.23 है0 भूमि में वादनी का नाम सरस्वती बाई के स्थान पर सरस्वती बाई उर्फ पार्वती बाइ दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 24/12/25 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद